कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा श्री गोविन्द राम साखी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भाण्डूकलां, जिला जोधपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भावी, बिलाड़ा जिला जोधपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री गोविन्द राम साखी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2241/2021 गोविन्द राम साखी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

याचिका संख्या 2241/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.02.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.02.2021 का क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री गोविन्द राम साखी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री गोविन्द राम साखी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भाण्डूकलां, जिला जोधपुर में पूर्ववत पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित प्रधानाचार्य श्रीमती कन्चन चारण का अन्तरिम समायोजन राउमावि भावी, बिलाड़ा जिला जोधपुर किया जाता है।

उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/गोविन्दराम/2241/2021/179 **दिनांकः** 15/2/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक जोधपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

<u>संयुक्त निदेशक(कार्मिक)</u>